प्रधानमंत्री जन धन योजना

योजना का विवरण

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं नामतः, बैंकिंग/बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा बैंकिंग प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

1. पैन/फॉर्म 60
2. हाल ही की एक तस्वीर
3. पहचान और पते का प्रमाण- पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, यूआईडीएआई द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड / आधार संख्या होने का प्रमाण, नरेगा जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (नेशनल पापुलेशन रजिस्टर) द्वारा जारी पत्र जैसे दस्तावेज़ों में से कोई एक 'पहचान के प्रमाण' के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि इन दस्तावेज़ों में ग्राहक का पता भी उल्लेखित है, तो यह 'पहचान और पते के प्रमाण', दोनों के रूप में स्वीकार्य होगा।
    - यदि ग्राहक का वर्तमान पता उनके स्थायी पते से अलग है, तो फिज़िकल अकाउंट ओपनिंग मोड में ग्राहक को स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों का प्रमाण देना होगा। ग्राहक का आधार स्थायी पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होगा ।
    - यदि ग्राहक के पास वर्तमान पते का कोई प्रमाण नहीं है, तो वे केवाईसी के ई-प्रमाणीकरण (ओटीपी और बायोमेट्रिक) मोड के माध्यम से खाता खोल सकते हैं, जिसके तहत उन्हें स्थायी पते के प्रमाण के साथ वर्तमान पते के प्रमाण के रूप में एक स्व-घोषणा प्रदान करनी होगी।
    - निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से कोई भी एक ‘आधार संख्या होने के प्रमाण’ के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है - आधार पत्र/ डाउनलोड किया गया आधार (ई-आधार)/ आधार सुरक्षित क्यूआर (QR) कोड/ आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी

इस योजना से जुड़े विशेष लाभ निम्नानुसार हैं

- खाता ज़ीरो बैलेंस से खुलवा सकते हैं।
- जमा राशि पर ब्याज।
- मासिक ब्याज भुगतान।

- निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड।
- एक महीने में चार निःशुल्क नकद निकासी, जिसमें एटीएम (एयू बैंक / अन्य बैंक) निकासी शामिल है।
- 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर (28.8.2018 के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों में 2 लाख रुपये तक) पीएमजेडीवाई खाताधारकों को जारी किए गए रुपे कार्ड के साथ उपलब्ध है।
- 30,000 रुपये का जीवन बीमा लाभार्थी की मृत्यु पर पात्रता शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा।
- बैंक शाखा के साथ-साथ एटीएम/सीडीएम में निःशुल्क नकद राशि जमा की जा सकती है।
- एक महीने में जमा की जा सकने वाली जमा राशियों की संख्या और मूल्य की कोई सीमा नहीं।
- डिजिटल चैनल के माध्यम से लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं।
- पहली चेक बुक निःशुल्क है।
- निःशुल्क पासबुक सुविधा।
- पूरे भारत में पैसे का आसान हस्तांतरण।
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा।
- छः माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात् ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जा सकती है।
- पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई जैसे पेंशन और बीमा उत्पादों तक पहुंच।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत क्लेम देय होगा यदि रुपे कार्ड धारक ने बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम, पीओएस, ई-कॉम आदि जैसे किसी भी चैनल पर कम से कम एक सफल वित्तीय अथवा गैर वित्तीय लेनदेन या तो अपने स्वयं के बैंक (उसी बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रुपे कार्ड धारक) और/अथवा किसी दूसरे बैंक (अन्य बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/ रुपे कार्ड धारक) के माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर किया हो |
- प्रति परिवार, अधिमानतः घर की महिला के लिए केवल एक खाते में 10,000/- रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है, बशर्ते कि खाता आधार से जुड़ा हो |